तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 21/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म व तामिलमें जारी हुए
21.5.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) पूनाराम पुत्र समरथा जी रेबारी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म होटल ओम चेतना, पिण्ड़वाडा–आबू हाईवे, धनारी, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) गणेश राम देवासी पुत्र लसमाराम जी देवासी, निवासी– रेबारीवास, धान्ता, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता व प्रोपराईटर, फर्म होटल ओम चेतना, पिण्ड़वाडा–आबूरोड़ हाईवे, धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा फर्म होटल ओम चेतना, पिण्ड़वाडा–आबूरोड़ हाईवे, धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता पूनाराम पुत्र समरथा जी रेबारी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल का नमूना संख्या S-2107 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1204/Act/2023/1245 दिनांक 11.5.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही होने से प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 21.5.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर विधि सम्मत निस्तारण किया जा रहा है। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 25.4.2023 को समय 4.30 पी.एम. पर फर्म होटल ओम चेतना, पिण्ड़वाडा–आबूरोड़ हाईवे, धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। फर्म होटल ओम चेतना में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी पूनाराम पुत्र समरथा जी रेबारी उपस्थित मिलें, जो ....लगातार	

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:40 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 21/2024**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म व तामिलमें जारी हुए

होटल ओम चेतना में खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल को आम जनता के खाना बनाने हेतु उपयोग में लेता है। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के खाना बनाने हेतु उपयोग में लिये जाने वाले खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता पूनाराम पुत्र समरथा जी रेबारी को गवाह श्री हीराराम, हाल निवासी–होटल ओम चेतना, पिण्ड़वाडा–आबूरोड़ हाईवे, धनारी के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल ओम चेतना के अन्दर रखे हुए खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल के 5 टीन (प्रत्येक 13.150 किलोग्राम) में से 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल को सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक बोतल में खरीदा एवं खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल की कीमत राशि रुपये 342/– (अक्षरे रुपये तीन सौ बियालीस मात्र) विक्रेता पूनाराम पुत्र समरथा जी रेबारी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2107, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल को हिला मिलाकर एकरुप कर चार साफ, खाली व सूखी शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं चारों शीशीयों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। चारों नमूना शीशीयों पर पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2107 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता पूनाराम पुत्र समरथा जी रेबारी व गवाह श्री हीराराम के हस्ताक्षर कराये तथा श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता पूनाराम पुत्र समरथा जी रेबारी व गवाह हि[illegible] श्री [illegible] गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर [illegible] है। तत्पश्चात् खाद्य

.....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:40 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 21/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म व तामिलमें जारी हुए
	सुरक्षा अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.4.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री बाबुलाल मीणा, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 25.4.2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री राजेन्द्र कुमार गहलोत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म होटल ओम चेतना, पिण्ड़वाडा–आबूरोड़ हाईवे, धनारी, तहसील–पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता पूनाराम पुत्र समरथा जी रेबारी से खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल के नमूना संख्या S-2107 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1204/Act/2023/1245 दिनांक 11.5.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म होटल ओम चेतना, पिण्ड़वाडा–आबूरोड़ हाईवे, धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के विक्रय का अनुज्ञा पत्र प्रतिवादी संख्या–2 (दो) गणेशराम देवासी पुत्र लसमाराम जी के नाम से जारी किया हुआ है। इससे, यह स्पष्ट है कि फर्म होटल ओम चेतना, पिण्ड़वाडा–आबूरोड़ हाईवे, धनारी का संचालक प्रतिवादी संख्या–2 (गणेशराम देवासी) है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–2 (गणेश राम देवासी) की फर्म होटल ओम चेतना, पिण्ड़वाडा–आबूरोड़ हाईवे, धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:40 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 21/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म व तामिलमें जारी हुए

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-strandard) खाद्य पदार्थ सोयाबिन रिफाईन्ड तेल के विक्रय हेतु प्रतिवादी गणेश राम देवासी पुत्र लसमाराम जी देवासी, निवासी– रेबारीवास, धान्ता, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म होटल ओम चेतना, पिण्ड़वाडा–आबूरोड़ हाईवे, धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी गणेश राम देवासी पुत्र लसमाराम जी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म होटल ओम चेतना, पिण्ड़वाडा–आबूरोड़ हाईवे, धनारी, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 24.6.2024 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:13:40 IST
Reason: SelfAttested